सड़क सुरक्षा – संकल्प हमारा

पांच कदमों में सुरक्षा का वादा

ENFORCEMENT	EDUCATION	ENGINEERING	EMERGENCY CARE	EMPATHY
यातायात कानून	शिक्षित समाज	सड़क निर्माण में नई तकनीक	आपातकाल सेवाएं	मानवीय संवेदना

सड़क सुरक्षा के पांच स्तंभ

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

संकल्प हमारा

सुंदर हिमाचल - सुरक्षित हिमाचल

सड़क सुरक्षा अभियान नहीं, यह हम सब की शान है।

अनुपालन करें हम सभी सुरक्षा नियमों का, यही हमारी पहचान बनें।

आओ सब मिल संकल्प करें, अमूल्य मानव जीवन को हम बचाएंगे।

सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर, अपना फर्ज निभाएंगे।

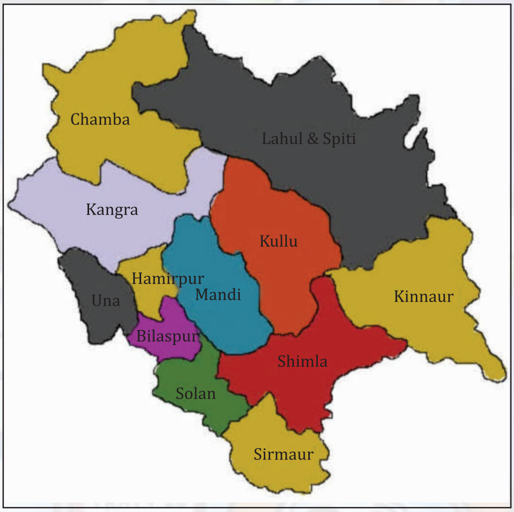

संचार माध्यमों एवं विद्यालयों में सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम द्वारा जागरूकता

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा इलैक्ट्रोनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता पर विभिन्न संदेश प्रसारित एवं प्रचारित किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति स्कूली छात्रों में छोटी आयु से ही जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तथा उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए कक्षा छठी से दसवीं तक के छात्रों के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, सोलन के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर पाठ्यक्रम, सड़क सुरक्षा जिम्मेदारी हमारी, तैयार करवाया गया है। यह पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022 से विद्यालयों में पढ़ाना भी शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार एवं सुरक्षा प्रकोष्ठ की इस पहल से अवश्य ही भविष्य में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता का भाव पैदा होगा एवं सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में अवश्यंभावी कमी आएगी।

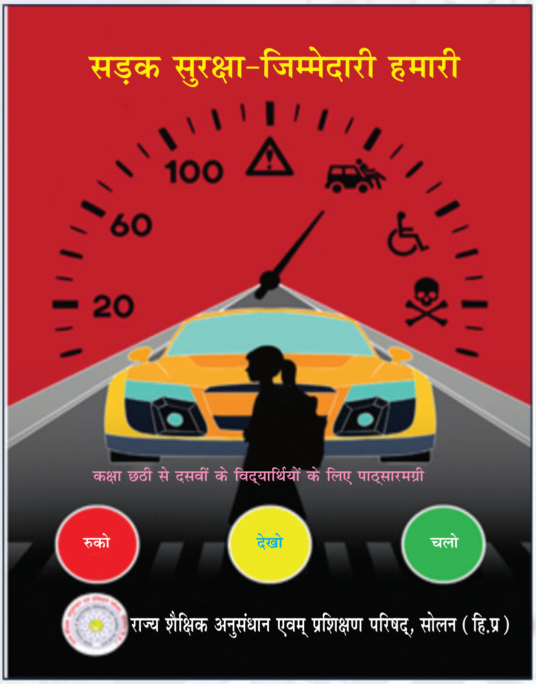

नेक व्यक्ति (Good Samaritan) की सुरक्षा एवं अधिकारों के बारे में जागरूकता अभियान

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा समाज के सभी वर्गों को सड़क सुरक्षा सम्बंधित जानकारी प्रदान करने तथा Good Samaritan (वह नेक व्यकित जो स्वेच्छा व नेक नियति से बिना किसी इनाम की अपेक्षा किए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौके पर ही सहायता करता है अथवा उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पंहुचाने में मदद करता है) को कानून द्वारा प्रदान किए गये अधिकार एवं सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से "सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा तथा "Good Samaritan-नेक व्यकित" पर दो पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया। इन दोनों पुस्तिकाओं की एक-एक लाख प्रतियाँ प्रकाशित करवाकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इसी प्रकार नेक व्यक्ति के बारे में जारी दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार करने के लिए 10,000 सूचना पट्टों को भी मुद्रित करके सभी अस्पतालों, पुलिस थानों, चौकियों, बस स्टैंड तथा सभी सार्वजनिक स्थानों पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के माध्यम से स्थापित किया गया है ताकि आम लोग बिना किसी डर व झिझक के सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए आगे आएं तथा उसे समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाकर उनका बहुमूल्य जीवन बचाया जा सके।

पोस्टरों व बैनरों के माध्यम से जागरूकता अभियान

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा स्थानीय लोगों, प्रदेश व बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को जागरूक करने के लिए पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला की लिफ्ट के परिसर व गलियारों में सड़क सुरक्षा से सम्बंधित विभिन्न संदेशों पर बड़े बैनर लगाए गए है। पर्यटन विभाग की इस लिफ्ट द्वारा प्रतिदिन हजारों लोगों का कार्ट रोड़ से माल रोड़ आना जाना लगा रहता है तथा इन बैनरों के माध्यम से लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश प्रचारित किया जा रहा है।

नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता अभियान

प्रदेश में सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जमीनी स्तर तक जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा माह मार्च 2022 में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश से सम्बद्ध 62 लोक कलाकारों के समूहों द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में प्रमुख स्थानों पर सड़क सुरक्षा से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके जागरूकता अभियान चलाया गया। इन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति व दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रभाव, सड़क सुरक्षा के प्रति अपनाए जाने वाले उपाय तथा नियमों व कानूनों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की गई।

लोक नाटकों के माध्यम से सड़क सुरक्षा संदेश व जागरूकता अभियान की एक झलक

सड़क सुरक्षा में अंक पांच की अहमियत

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल में घटित होने वाले सड़क हादसों के आँकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं एवं उनके फलस्वरूप घटित होने वाली जानहानि एवं गंभीर चोटों की संख्या को कम करने के लिए जो उपाए अपेक्षित है उनमें अंक (5) की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।

अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर (E) जो की स्वयं पांचवा अक्षर है, तथा 5 (E) सड़क सुरक्षा में जो भूमिका निभाते हैं उनका वर्णन निम्नलिखित है:

1. Enforcement (सड़क सुरक्षा कानूनों व नियमों को सख्ती से लागू करना)

सड़क सुरक्षा कानूनों, नियमों एवं विनियमों (Laws/ Rules & Regulations) की अनुपालना न करने पर पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा जो जुर्माना लगाया जाता है एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाती है, उसे Traffic Law Enforcement कहा जाता है। यदि यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर कानून के अनुसार वांछित कार्यवाही नहीं की जाती है तो सड़क दुर्घटनाओं तथा उनसे घटित होने वाली मृत्यु दर एवं घायलों की संख्या की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो जाता है। सड़क मार्गों पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा उचित कानून व नियम बनाए गए हैं तथा उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एंव परिवहन विभाग तथा जिला प्रशासन को उपयुक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

हिमाचल प्रदेश में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारक

1. **तेज गति से वाहन चलाना:** प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 50 प्रतिशत हादसे तेज गति से वाहन चलाने के कारण होते हैं।
2. **खतरनाक तरीके व लापरवाही से वाहन चलाना:** वाहन चालकों द्वारा अंधाधुंध तरीके से व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण अनेक से सड़क हादसे घटित होते हैं, जिसमें जानमाल की व्यापक क्षति होती है। Speed Thrill but kills.
3. **खतरनाक तरीके से ओवरटेकिंग करना:** पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हिमाचल प्रदेश में गलत व खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना घातक सिद्ध होता है क्योंकि

सड़कों पर अधिक मोड़ होने के कारण वाहन से पास लेते समय सामने से आने वाले वाहन के चालक द्वारा सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है।

4. **गलत तरीके से वाहन मोड़ना:** सिंगल या डबल लेन सड़क मार्गों पर वाहन मोड़ते समय पीछे या सामने की ओर से आने वाले वाहनों का सही आकलन न करने के कारण भी सड़क हादसे घटित होते हैं तथा इसमें जान माल का भी काफी नुकसान होता है।

5. **लापरवाही से लेन बदलना:** प्रदेश में फोरलेन सड़कों के निर्माण के कारण लापरवाही व गलत तरीके से वाहन द्वारा लेन बदलने के कारण भी हादसों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज़ की जा रही है।

6. **शराब पीकर वाहन चलाना:** हिमाचल प्रदेश के मैदानी, जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चालकों द्वारा मदिरापान व अन्य मादक पदार्थों का सेवन करके वाहन चलाने के कारण भी बहुत सी सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं तथा ज्यादातर रात के समय हादसे होने के कारण बहुमूल्य मानव जीवन की अपूर्णीय क्षति होती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाएं ज्यादातर विवाह–शादियों, पार्टियों, मेलों, उत्सवों से लौटते समय होती है। ऐसे में खुशी का माहौल गम में बदल जाता है।

7. **सीट बैल्ट का प्रयोग न करना:** प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों तथा फोरलेन व राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज गति से वाहन चलाने के कारण सीट बैल्ट का प्रयोग न करने पर गंभीर चोटों की संभावना बढ़ जाती है।

8. **मोबाइल फोन का प्रयोग करना:** वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना वर्तमान में सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण बन गया है। मोबाइल पर बात करते समय वाहन चालक का ध्यान भटकने के कारण उसका वाहन पर नियंत्रण नहीं रह पाता है और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

9. **हैलमेट का प्रयोग न करना:** दोपहिया वाहन चालक व सवार द्वारा हैलमेट का प्रयोग न किए जाने के कारण सड़क दुर्घटना के समय लगने वाली चोटों (विशेषकर सिर में) के कारण बहुत से व्यक्ति काल का ग्रास बनते है।

10. वाहन चालकों द्वारा अपने वाहनों की नियमित जांच न करवाना भी सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनाता है।

11. परिजनों व अभिवावकों द्वारा नाबालिक को गाड़ी चलाने को प्रेरित करना भी दुर्घटनाओं का कारण आज के युग मे बना है।

12. कृषि व बागवानी प्रधान प्रदेश होने के कारण ग्रामीण मार्गों पर वाहनों की ओवरलोडिंग भी दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है।

भारत सरकार द्वारा देश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनज़र मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करते हुए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार जुर्माने की राशि को 10 गुणा तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है तथा धारा 210 A के अनुसार राज्य सरकारों को यह शक्तियां दी गई है कि वे अपने राज्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक से 10 गुणा तक जुर्माना राशि निर्धारित कर सके। यह जुर्माना राशि विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए अलग–अलग निर्धारित की गई है।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में 20 जुलाई 2021 को जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित जुर्माने की राशि को 1.5 का गुणांक लगाकर डेढ़ गुणा किया गया है। अर्थात् यदि किसी सड़क सुरक्षा नियम का उल्लंघन करने पर पहले से निर्धारित राशि ₹1000 है तो जुर्माने की राशि को ₹1500 तक बढ़ा दिया गया है।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में नुक्कड नाटकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सूचना एवं जन सर्पक विभाग से संबद्ध लोक कलाकारों के 62 दलों के सदस्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में दिनांक 27 फरवरी 2022 को किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय उद्योग, परिवहन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई।

सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना के लिए नवीन तकनीक पर आधारित उपकरणों का उपयोग

1. **Alco Sensors :** मदिरापान करके वाहन चलाने वाले चालकों की मौके पर ही जांच करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा "Alco Sensors" का प्रयोग किया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध जुर्माने के अतिरिक्त दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है।

2. **Smoke Meters:** वाहनों द्वारा प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा प्रदूषण जांच उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा है तथा उल्लंघन करने वाले चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही की जाती है।

3. **Laser Speed Gun/ Doppler Radar :** वाहनों की तेज रफ्तारी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग को नवीन तकनीक पर आधारित "Doppler Radar and Laser Speed Gun" उपलब्ध करवाई गई है। इस विधि द्वारा तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों का चालान करके जुर्माने की कार्यवाही की जाती है। इन उपकरणों के प्रयोग के कारण तेज गति से वाहन चलाने की संख्या तथा दुर्घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है।

4. **Body Worn Camera's with 4G Wi-Fi & GPS :** मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की उल्लंघना करने वाले चालकों द्वारा अक्सर पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से र्दुव्यवहार की घटनाएं घटित होती है तथा पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा भी र्दुव्यवहार की शिकायतें होती रहती हैं। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग को नवीन तकनीक पर अधारित "Body Worn Camera" उपलब्ध करवाए गए हैं। इन कैमरों द्वारा चालकों व पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार की रिकॉर्डिंग की जाती है जो कि उनके द्वारा किए गए व्यवहार को प्रमाणित करने तथा जुर्माने व दंड का निर्धारण करने में सहायक होती है।

5. **Mobile Phone for e-Challaning and Hand Held Terminal for e-Challaning :** वर्तमान में नवीन तकनीक व इंटरनेट के प्रयोग के कारण यातायात

नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को मौके पर ही चालान का भुगतान करने तथा ऑनलाईन भुगतान करने के लिए पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा e-Challaning उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। इन उपकरणों के उपयोग के कारण उल्लंघनकर्त्ताओं को कार्यालयों व न्यायालयों में चालान भुगतान करने के लिए जाने की आवयश्कता नहीं होती है तथा इससे न्यायालय व पुलिस विभाग के समय की भी बचत होती है।

6. **Inteligent Traffic Management System (ITMS):** प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए तथा वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों व कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नवीन तकनीक पर आधारित Inteligent Traffic Management System (ITMS) प्रणाली लागू की जा रही है, जिनकी संख्या वर्तमान में पंद्रह है तथा शीघ्र ही प्रदेश के सभी जिलों में और अधिक संख्या में आधुनिक उपकरणों से लैस ITMS स्थापित किए जा रहे हैं। इन उपकरणों के माध्यम से सड़क सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन की पहचान करके सम्बंधित चालकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

इन उपकरणों के माध्यम से उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को 'Online' चालान की सूचना दी जाती है। इन उपकरणों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना, बिना हेल्मेट पहनें व बिना सीट बैल्ट लगाए वाहन चलाना, गलत तरीके से वाहन मोड़ना व ओवरटेकिंग आदि नियमों की अवहेलना करने पर आधुनिक कैमरों व सैंन्सरों के द्वारा ऑटोमेटिक तरीके से चालान जारी किया जाता है जिसका बचाव उल्लंघनकर्ता द्वारा न्यायालय में भी नहीं किया जा सकता है। ये चालान मानव रहित उपकरणों द्वारा जारी किए जाते हैं। जिन–जिन स्थानों पर यह उपकरण स्थापित किए गए हैं वहां पर सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना के मामले में काफी कमी दर्ज़ की गई है। भविष्य में स्वचालित आधुनिक उपकरणों द्वारा ही सड़क सुरक्षा नियमों एवं कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कि लापरवाह वाहन चालकों में अवश्य ही जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होगी।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन विभाग, निरन्तर प्रदेश के सभी चालकों व बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालकों से अपील करता है कि अपनी एवं औरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें ताकि हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित बनाया जा सके तथा दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके।

Alco Sensor से चालक की स्थल पर जांच

सड़क सुरक्षा कानूनों को लागू करने में पुलिस की अहम भागीदारी

Education : (शिक्षित समाज - जागरूक समाज)

सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को शिक्षित करना सबसे महत्त्वपूर्ण ध्येय है। समाज के अधिकतर लोगों एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों की पूर्ण जानकारी के अभाव में प्रदेश में प्रतिदिन सड़क हादसे घटित हो रहे है जिनमें अमूल्य मानव जीवन की क्षति हो रही है तथा समाज एवं देश को भी नुकसान हो रहा है। यातायात कानूनों एवं नियमों के बारे में जानकारी रखने वाले वाहन चालकों व आमजन द्वारा नियमों के उल्लंघन की घटनाएं काफी कम होती है क्योंकि उन्हें इससे होने वाली हानि का ज्ञान होता है। इसके विपरीत यातायात नियमों व कानूनों का पूर्ण ज्ञान न होने वाले वाहन

चालकों व आम लोगों द्वारा उल्लंघना के मामलों की संख्या बहुत अधिक है।

सड़कों पर लगाए गए यातायात संकेत, सूचक और सड़क चिन्ह वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं इन चिन्हों से उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि जिस सड़क पर वह वाहन चला रहे हैं उसकी स्थिति कैसी है तथा वाहन किस गति सीमा से चलाया जाना है। अलग–अलग प्रकार के यातायात संकेत एक विशेष प्रकार की चेतावनी या जानकारी प्रदान करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के सड़क चिन्ह वाहन को सड़क की स्थिति एवं स्थान के अनुसार संतुलित तरीके से वाहन चलाने के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यदि वाहन चालक को सभी प्रकार के सड़क संकेतों, सूचकों एवं सड़क चिन्हों की पूर्ण जानकारी हो तो वह संयमित तरीके से वाहन चलाएगा तथा सड़क दुर्घटनाओं में निश्चय ही कमी आएगी।

चित्रकला व अन्य गतिविधियों से युवा शक्ति को किया जा रहा जागरूक।

सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जानहानि तथा पूर्ण व आंशिक विकलांगता का सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों पर बहुत गहरा व दूरगामी प्रभाव पडता हैं। सड़क दुर्घटना के कारण परिवार के कमाने वाले सदस्य की आसमायिक मृत्यु के कारण एक संपन्न एवं सुखी परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में आ जाता है। सड़क दुर्घटना पीड़ित के

परिजनों को मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है तथा उनकी आर्थिक व समाजिक स्थिति भी दयनीय हो जाती है। सड़क दुर्घटना के कारण होने वाले जानी नुकसान की भरपाई करना असम्भव होता है परन्तु यदि यातायात नियमों का सही पालन करके संयमित तरीके से वाहन चलाया जाए तो इस प्रकार की दुखदः दुर्घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।

अतः यदि सड़क सुरक्षा के प्रति समाज के सभी वर्गों को शिक्षित किया जाए तो पुलिस व परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा नियमों की अहवेलना करने पर जुर्माना लगाने एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा तथा इसके फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में भी अवश्य ही कमी आएगी। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा इस विषय में अनेक प्रयास किए जा रहे है जोकि भविष्य मे भी यथावत रहेंगे।

Engineering : (सुरक्षित आवाजाही के लिए सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग)

सड़क सुरक्षा का तीसरा महत्त्वपूर्ण घटक सड़कों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक व ड़िजाइन है। सड़कों के निर्माण के समय प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नवीन तकनीक का प्रयोग आवश्यक है ताकि वाहन चालक वाहन चलाते समय सुरक्षित महसूस करें तथा दुर्घटना की संभावनाओं को कम किया जा सके। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां सड़क निर्माण का कार्य बहुत ही जटिल है तथा सड़क निर्माण करने वाली ऐजैंसियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। सड़क निर्माण के समय यदि स्थान विशेष को ध्यान में रखकर तथा उस सड़क पर अधिकतर चलने वाले वाहनों के प्रकार एवं उनकी संख्या के अनुसार सड़क निर्माण के समय आवश्यक उपायों को अपनाकर नवीन तकनीक द्वारा सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या तथा उनके फलस्वरूप होने वाली जान व माल की हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश में बनने वाली सड़कों के निर्माण के समय वाहनों की संख्या व सड़क दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। परन्तु जब तक वाहन चालक सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना संभव नहीं है।

यह सर्वविदित है कि सड़कों के किनारे लगाए गए विभिन्न यातायात संकेत, सूचक तथा सड़क पर बने चिन्हों की महत्ता के बारे में अधिकतर वाहन चालकों को ज्ञान नहीं होता है जिस कारण सड़क पर आने वाले किसी अवरोध या अन्य खतरों के बारे में अनभिज्ञ होने पर सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार सड़कों पर लगाए गए चिन्हों (Road Markings) के बारे में जानकारी न होने के कारण भी अक्सर वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा अपने साथ ही दूसरे वाहन चालकों, वाहन सवारों व पैदल पथ यात्रियों की जान जोखिम में डालते है। यह भी देखा गया है कि जिन वाहन चालकों को यातायात संकेत व सड़क चिन्हों के बारे में जानकारी होती है वे भी इन नियमों का पालन केवल कानून के डर से ही करते हैं परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से इन नियमों का पालन करने में कोई रूचि नही दर्शाते हैं, जिस कारण सड़क हादसों की संभावना बढ़ जाती है। हम वाहन चलाते समय विभिन्न श्रेणी की सड़कों के किनारे गति सीमा से सम्बंधित यातायात संकेत लगे देखते हैं जो कि सड़क की दशा के अनुसार गति नियंत्रण करने के लिए पूर्व चेतावनी देने हेतु लगाए जाते हैं ताकि संभावित सड़क दुर्घटना को रोका जा सके परन्तु वाहन चालकों द्वारा इन यातायात संकेतों के उल्लंघन करने के मामले प्रतिदिन सामने आ रहे है। इस बारे में यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने के अतिरिक्त व्यापक स्तर पर वाहन चालक व आम जनता को जागरूक किया जाना अति आवश्यक है।

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सड़क मार्गों की कुल लंबाई 40,329 किलोमीटर है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई केवल 2600 किलोमीटर है जोकि सड़कों की कुल लंबाई का लगभग सात प्रतिशत है। प्रदेश में घटित होने वाली 50 से 60 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती है जिसका कारण यातायात नियमों का पालन न करना है तथा निर्धारित गति सीमा का उल्लघंन करना है। प्रदेश में राज्य मार्गों/मुख्य जिला मार्गों पर यातायात की संख्या अधिक होने के कारण तथा सड़कों की सीमित चौड़ाई व पैदल पथ के अभाव के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। प्रदेश में ज्यादातर संपर्क मार्ग Single Lane है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के बाद सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं इन संर्पक मार्गों पर ही होती है।

जब हम किसी सड़क दुर्घटना के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारे सामने वाहनों की आमने सामने की टक्कर, वाहन का लुढ़क कर खाई में गिर जाना, वाहन का दूसरे वाहन को आगे पीछे या साईड से टक्कर मारने का परिदृश्य प्रकट होता है परन्तु हिमाचल प्रदेश में घटित होने वाले सड़क हादसों के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 से 2021 तक 16,908 सड़क हादसों में से सबसे ज़्यादा 3,794 सड़क हादसे वाहनों द्वारा सड़क पर चलने

वाले पैदल पथ यात्रियों को टक्कर मारने के कारण हुए हैं जो कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इन हादसों का कारण वाहन चालकों की तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाने के अतिरिक्त सड़कों के किनारे पैदल पथ का प्रावधान न होना तथा पैदल पथ यात्रियों द्वारा भी यातायात नियमों का पालन न करना है। हिमाचल प्रदेश की विकट भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण सड़कों का निर्माण करते समय सभी स्थानों पर पैदल पथ का निर्माण करना संभव नहीं है परन्तु आधुनिक तकनीक के विकास के साथ पैदल पथ का निर्माण करना समय की जरूरत बन चुका है। वर्तमान परिदृश्य में सड़क पर चलते या सड़क पार करने समय यदि सावधानी बरती जाए तो इस प्रकार से होने वाले हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उन स्थानों को Black Spot का नाम देकर परिभाषित किया है (1) जहां पर पिछले तीन वर्षों में 500 मीटर के दायरे में पांच सड़क दुर्घटनाएं हुई हों तथा जिसमें वाहन सवारों की जानहानि हुई हो व गंभीर रूप से घायल हुए हों अथवा (2) राष्ट्रीय राजमार्ग का 500 मीटर का वह भाग जहां पिछले तीन वर्षों में सड़क हादसों में दस लोगों की जान हानि हुई हो। प्रदेश में घटित होने वाले सड़क हादसों के आँकड़ों के मुताबिक पुलिस तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा Black Spot की सूची तैयार करके सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के Traffic Research Wing (TRW) को भेजा जाता है तथा भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इन्हें Black Spot घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त Vulnerable Spot तथा Potential Spot जिन्हें दुर्घटना संभावित क्षेत्र कहा जाता है, की पहचान पुलिस विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम व 108 आपातकालीन वाहन द्वारा की जाती है।

प्रदेश में जिन सड़कों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें स्थानिय रूटों पर चलती है तथा बस चालक को यह लगता है कि सड़क या मोड़ो की चौड़ाई कम होने के कारण या किसी विशेष स्थान पर सड़क की मरम्मत की जाने की आवयश्कता है जहां पर सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है तो ऐसे स्थानों को चिन्हित करके इन सभी की सूची तैयार की जाती है।

इसी प्रकार आपाकालीन सेवा वाहन 108 द्वारा जिस दुर्घटना स्थल से दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता के लिए वाहन उपलब्ध करवाया जाता है उस स्थान को चिन्हित करके उसकी सूची तैयार की जाती है। इन सभी Black Spot व दुर्घटना संभावित स्थानों की सूची पुलिस विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम व 108 आपातकालीन सेवा द्वारा लोक निर्माण विभाग को सौंप दी जाती है तथा विभाग व सड़क से सम्बंधित अभिकरण

(NHAI, BRO) द्वारा इन दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करके आवश्यक उपाय किए जाते हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सके।

सड़क के निर्माण एवं रखरखाव से सम्बंधित विभागों एवं अभिकरणों द्वारा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर सड़क सुरक्षा से सम्बंधित यातायात संकेत, सूचक व सड़क पर विभिन्न नियमों की पालना के लिए विशेष सड़क चिह्न लगाए जाते हैं ताकि वाहन चालक को पूर्व सूचना प्रदान करके किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके। ऐसे चिन्हों में रूकने का संकेत, दूसरे वाहनों को रास्ता देने का संकेत, प्रवेश निषेध संकेत, एक दिशा में यातायात निषेध, दोनों दिशा में यातायात निषेध, बांये मुड़ना व दाएं मुड़ना निषेध, गति सीमा, ओवरटेक निषेध, नो पार्किंग, रूकना व वाहन पार्क करना निषेध आदि अनिवार्य अथवा आदेशात्मक संकेत होते हैं, जिन की पालना करना कानूनन आवयश्क होता है तथा इनका उल्लंघन करने पर पुलिस व परिवहन विभाग के माध्यम से चालान काटकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह यातायात संकेत लाल गोलाकार रूप में सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से दर्शाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त पूर्व में चेतावनी देने वाले संकेत चिन्ह भी सम्बंधित विभाग व अभिकरण द्वारा सड़कों के किनारे वाहन चालकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगाए जाते हैं जोकि लाल रंग का त्रिकोण होता है जिसमें सफेद पृष्ठभुमि पर काले रंग से संकेतों को दर्शाया जाता है। चेतावनी संकेतों में दाएँ ओर मोड़ व बाएँ ओर मोड़, आगे चढ़ाई है, आगे उतराई है, आगे सड़क चौडी व तंग है, फिसलन भरी सड़क, पैदल यात्री पारपथ, आगे स्कूल है, काम चालू है, पत्थर गिरने की संभावना है, बाईं या दाईं तरफ Y जंक्शन, खतरनाक गहराई, स्पीड ब्रेकर आदि संकेत आते हैं। यदि वाहन चालक इन यातायात संकेतों के अनुसार वाहन चलाएं तो वह अपनी व औरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अवश्य सफल होगा।

इसी प्रकार वाहन चालकों एवं यात्रियों की सुविधा के लिए दिशा, गंतव्य व सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना संकेत लगाए जाते हैं जोकि आकार में चौकोर या आयताकार होते है जिनकी पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है तथा सफेद अक्षरों द्वारा सूचना अंकित की जाती है। इन सूचना संकेतों द्वारा किसी स्थान विशेष तथा उसकी दिशा व दूरी के बारे मे जानकारी, पेट्रोल पंप, अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा स्थल, भोजन व अल्पाहार स्थल, विश्राम स्थल, पार्किंग स्थल, टैक्सी स्टैंड व ओटो रिक्शा स्टैंड आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी आवश्यकता अनुसार इन सुविधाओं का उपयोग कर सकें। समय पर वांछित सुविधाएं प्राप्त होने पर वाहन चालक व यात्रियों का व्यवहार भी खुशनुमा व सामान्य रहता है तथा वाहन चलाते व यात्रा करते समय ध्यान भटकाव के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है।

हिमाचल प्रदेश मे ऊँचे–ऊँचे पहाड़, गहरी खाईयां एवं नदी नाले होने के कारण यदि कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से नीचे लुढ़कता है तो जानहानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती है तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बचाव कार्य में भी काफी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है। यात्री वाहनों का सड़क से नीचे खाई व नदी नालों में लुढ़कर दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण जानहानि की बहुत अधिक क्षति होती है। इन्हीं दुश्वारियों के मद्देनज़र प्रदेश में सरकार द्वारा दुर्घटना संभावित पहाड़ी क्षेत्रों में पैराफिट की

जगह क्रैश बैरियर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वाहनों को सड़क से नीचे लुढ़कने से बचाकार जानमाल की भारी क्षति को रोका जा सके। दुर्घटना संभावित स्थानों पर क्रैश बैरियर की स्थापना के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या व उनके परिणामस्वरूप घटित होने वाली जानहानि व गंभीर चोटों की संख्या में भी कमी आई है। क्रैश बैरियर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा क्रैश बैरियर पॉलिसी, 2021 को लागू किया गया है ताकि जिन स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाए गए हैं उनके उचित रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके।

सड़क सुरक्षा के प्रति हिमाचल सरकार व सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग गंभीर है तथा इस दिशा में सभी हितधारक विभागों की सहभागिता से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर प्रदेश को सड़क दुर्घटना मुक्त राज्य बनाने के लिए अग्रसर है। यह उदेश्य तभी परिपूर्ण हो सकता है यदि हम सभी यातायात नियमों का पालन करें तथा पुलिस, परिवहन व हिमाचल सरकार को अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।

Emergency Response : (आपातकालीन चिकित्सा सुविधा से बहुमूल्य जान-माल की रक्षा)

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यदि समय पर उचित चिकित्सा सहायता प्राप्त हो जाती है तो उसके बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हिमाचल प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों के मुख्य कारण वाहनों की आमने सामने की टक्कर, पैदल यात्रियों को वाहनों द्वारा टक्कर मारना एंव वाहनों का सड़क से नीचे लुढ़क कर खाई में गिरना है। प्रदेश में सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों के लिए सीमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने तथा तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों की जानहानि की संभावना बढ़ जाती है। हिमाचल प्रदेश मे घटित होने वाले सड़क हादसों के कारणों व दुर्घटना के प्रकार को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के नजदीक आपातकालीन सहायता वाहन तैनात करने तथा "Trauma Care Center" स्थापित करने की नितांत आवयश्कता है। यदि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर उचित प्रथम चिकित्सा सहायता प्राप्त हो जाती है तो उसे किसी नजदीकी या दूरस्थ चिकित्सा केन्द्र तक ले जाते समय अधिक क्षति नहीं होती है तथा उसकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि सड़क दुर्घटना के समय घायल व्यक्तियों की सहायता के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले संभावित व्यक्तियों जिनमें सड़क दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले स्थानीय लोगों, ढ़ाबा व दुकान मालिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं व पुलिस कर्मचारियों को प्रथम चिकित्सा सहायता का उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा साथ ही उन्हें प्रथम चिकित्सा सहायता सामग्री तथा बचाव उपकरण जैसे स्ट्रैचर रस्सी, टॉर्च आदि उपलब्ध करवाई जाए ताकि सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों के अमूल्य जीवन को बचाया जा सके। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा इस विषय में प्रयास किए जा रहे हैं तथा आने वाले समय में ये प्रयास अमूल्य मानव जीवन को बचाने में अवश्य ही फलदायी साबित होंगे।

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के नजदीक आपातकालीन सहायता नंबर जैसे 112, पुलिस, अस्पताल, नागरिक सुरक्षा विभाग (Home Guard & Fire Services) आपातकालीन वाहन (Ambulances, 108, Govt. & Private) स्वयं सेवी संस्थाओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के दूरभाष नंबर स्थापित करने से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत सहायता तथा

चिकित्सा सुविधा प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ इस विषय में गंभीर है तथा आम जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जानहानि के प्रति प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है तथा इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय, राजमार्गों पर Trauma Care Center स्थापित करने के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या को दस प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को समुचित चिकित्सा के लिए 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक नहीं ले जाना पड़ेगा तथा प्रत्येक 100 किलोमीटर पर सभी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त "Trauma Care Center" स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर तथा कुल्लू में Level –III Trauma Care Center कार्य कर रहें हैं। राजकीय चिकित्सा विद्यालय नेर चोक मंडी व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़ में Level –III Trauma Care Center का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा यह दोनों केन्द्र व डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा जिला कांगड़ा में Level –II Trauma Care Center वर्ष 2022 में कार्य करना प्रारम्भ कर देगें। इनके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी Trauma Care Center स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

‘आपातकाल में सहायता नम्बर 108 एवं 112’

Empathy : (हादसों में मानवीय संवेदना की उपयोगिता)

सड़क सुरक्षा में मानवीय संवेदना का बहुत महत्त्वपुर्ण स्थान है तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को नेक नियति, स्वेच्छा व बिना किसी इनाम या मुआवजे की अपेक्षा के तुरन्त समुचित सहायता एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना मानवीय दृष्टिकोण का बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि हम भारत वर्ष में सड़क दुर्घटना परिदृश्य पर एक नज़र डालें तो यह स्पष्ट होता है कि यदि सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को समय पर सहायता एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए तो इन दुर्घटनाओं में होने वाली जानहानि को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। आम तौर पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने में अधिकतर लोग डर व झिझक महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें यह अंदेशा होता है कि दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने पर उनसे पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूछताछ की जाएगी तथा उन्हें बार बार पुलिस थाना व न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। समय पर सहायता एवं तुरंत व उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण बहुत से लोग सड़क दुर्घटना स्थल पर ही अपनी जान गंवा देते है जिन्हें की तुरन्त सहायता प्रदान करके बचाया जा सकता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से बेहतर है तथा यहां के निवासी दयालु व मद्दगार प्रवृत्ति के होने के कारण सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

देश में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं एवं उसके परिणामस्वरूप होने वाली आसमायिक मृत्यु की दर के मद्देनज़र तथा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के प्रति आम जनता के व्यवहार एवं पुलिस व अस्पताल प्रशासन द्वारा दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले व्यक्ति के अकारण उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 (क) (1) के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले नेक व्यक्ति (Good Smaritan) की सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धारा 134 (क) (2) की अनुपालना में 29 सितम्बर 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में अध्याय 9 को सम्मिलित करते हुए नियम 168 व 169 को शामिल किया गया है। इन नियमों द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने वाले नेक व्यक्ति की जांच एवं अधिकारों को वर्णित किया गया है।

नेक व्यक्ति से सम्बंधित कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नेक नियति व स्वेच्छा से बिना किसी इनाम या मुआवज़े की अपेक्षा के सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौके पर

सहायता करता है या दुर्घटना के पश्चात् एक घंटे के अंदर उसे नजदीकी अस्पताल पहुँचा कर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाता है तो उसकी इच्छा के विपरीत पुलिस या अस्पताल प्रशासन द्वारा न तो उसका नाम पता पूछा जाएगा तथा न ही उससे किसी प्रकार की पूछताछ की जाएगी। यदि नेक व्यक्ति दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाकर वापिस जाना चाहता है तो अस्पताल प्रशासन द्वारा उसे एक रसीद प्रदान की जाएगी। यदि नेक व्यक्ति अपनी इच्छा से जाँच में शामिल होना चाहता है तो कानून द्वारा उसे यह अधिकार प्रदान किया गया है कि पुलिस या न्यायालय द्वारा उसकी सुविधा अनुसार तथा उसके द्वारा निश्चित किए गए समय व स्थान पर ही उससे पूछताछ की जाएगी। नेक व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछताछ केवल सादे वस्त्रों में की जाएगी तथा उसकी सुविधा अनुसार वीडियों कॉन्फ्रैंस के माध्यम से भी उसे जाँच में शामिल किये जाने का प्रावधान है।

नेक व्यक्ति के प्रति इस कानून का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की बिना किसी डर व झिझक के सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को समय पर समुचित सुविधा उपल्बध करवाकर बहुमूल्य या अनमोल मानव जीवन को बचाया जा सके।

Golden Hour Rules के मुताबिक यदि दुर्घटना होने के एक घंटे के भीतर सड़क दुर्घटना पीड़ित को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो उसके बचने की संभावना 80 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। भारत सरकार द्वारा अधिक से अधिक लोगों को नेक व्यक्ति (Good Smaritian) बनने के लिए प्रेरित करने के लिए Good Smaritian Award Scheme लागू की गई है जिसके अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने के लिए ₹5000 की इनाम की राशि का प्रावधान भी किया गया है। वर्ष में पांच बार तक नेक व्यक्ति को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर सड़क दुर्घटना पीड़ित को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने पर यह इनाम राशि प्रदान की जाएगी तथा उसे सार्वजनिक सामारोह में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का प्रचार व प्रसार करने के लिए भारत सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं (NGOs) तथा अन्य पंजीकृत संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए "Road Safety Advocacy Scheme" लागू की गई है जिसके अंतर्गत नियम एवं शर्तों को पूरा करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं (NGOs) तथा अन्य पंजीकृत संस्थाओं को ₹एक लाख, ₹तीन लाख व ₹पांच लाख की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

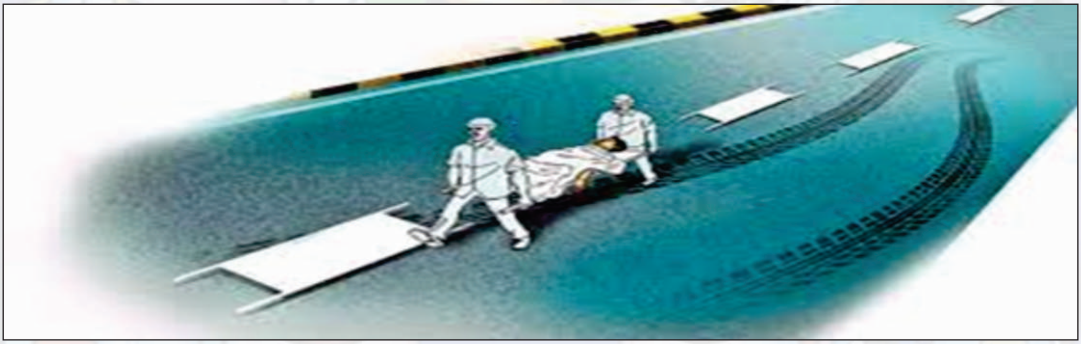

सड़क सुरक्षा के पांच प्रहरी - आपको क्यों होनी चाहिए जानकारी

मोटर वाहन अधिनियम, 1988
The Motor Vehicle Act, 1988

सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों को सुचारू रूप से संचालित करने तथा वाहन चालकों द्वारा कानून एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 को लागू किया गया, जिसे मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित करके कुछ नई धाराओं को शामिल करके वर्तमान परिदृश्य के अनुसार लागू किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम को 14 अध्याय में संकलित किया गया है, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम की परिभाषा, मोटर वाहन व चालक की लाइसेंस सम्बंधी प्रक्रिया, मोटर वाहन की पंजीकरण प्रक्रिया, वाहनों के निमार्ण, उपकरण व देखरेख, यातायात वाहनों व

नियमों का नियंत्रण, वाहनों का बीमा तथा सड़क सुरक्षा से सम्बंधित कानूनों की उल्लंघना करने पर दण्ड के प्रावधान के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सभी प्रकार के पंजीकृत वाहनों की संख्या 20,00,000 के करीब है तथा वर्तमान में प्रति वर्ष लगभग 1,40,000 वाहन पंजीकृत हो रहे हैं। प्रदेश में कुल वाहनों की 50 प्रतिशत से अधिक संख्या दो पहिया वाहनों की है। प्रदेश में प्रतिवर्ष सबसे अधिक दुर्घटनाग्रस्त होने वाले वाहनों में क्रमशः मोटर कार, दो पहिया वाहन, जीप व ट्रक की श्रेणी के वाहन आते हैं। समय के साथ हिमाचल प्रदेश की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में बढ़ौतरी हुई है तथा परिणामस्वरूप वाहनों की संख्या में भी आशातीत् वृद्धि दर्ज हुई है।

प्रदेश में प्रतिवर्ष वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण सड़क सुरक्षा कानूनों की उल्लंघना में भी वृद्धि हुई है तथा परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाए भी बढ़ गई है। यदि पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम व नियमों के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करने में ढिलाई बरती जाए तो अधिनियम व नियमों की उल्लंघना एवं सड़क दुर्घटनाओं में कई गुणा वृद्धि हो जाएगी तथा सड़क पर व्यवस्था बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। सड़क सुरक्षा की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के चालान करके जुर्माना वसूल कर सरकारी खजाने को भरना सरकार का उद्देश्य नहीं है अपितु वाहन चालकों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करवाने के लिए ही जुर्माने या दण्ड का प्रावधान किया गया है। यदि वाहन चालक स्वयं ही यातायात नियमों का पालन करेंगे तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना भी स्वतः ही सुनिश्चित होगी तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली सड़क दुर्घटना व जानमाल की क्षति में भी सम्भवतः ही कमी आएगी।

ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

"यातायात नियम आपकी सुरक्षा के लिए है,
सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं,
हिमाचल को दुर्घटना मुक्त बनाऐं"

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
Central Motor Vehicle Rules, 1989
हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999
Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999

जब भी सरकार द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है तथा उसे लागू किया जाता है तो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह नियम कहलाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में किया गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी भी कानून को लागू करने के लिए बनाए गए नियमों के तहत ही पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संकलित किए गए नियमों को दस अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें वाहन चालकों को जारी किए जाने वाले लाइसेंस से सम्बंधी नियम, मोटर वाहन का पंजीकरण, परिवहन वाहन पर नियंत्रण, यातायात पर नियंत्रण, वाहनों के निर्माण, उपकरणों व देखरेख से सम्बंधी नियम, मोटर वाहन के बीमा सम्बंधी नियम, सड़क सुरक्षा नियमों की उलन्घना, दण्ड व अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा नेक व्यक्ति की जांच से सम्बंधित आदि नियमों का उल्लेख किया गया है।

भारत वर्ष में यातायात नियमों का उल्लंघन करना आम बात है जिस कारण वाहन चालकों, पैदल पथ चालकों एवं आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा से सम्बंधित नियमों की पूर्ण जानकारी न होने के कारण तथा जानबूझ कर नियमों की अनदेखी करने के कारण बहुत सी सड़क दुर्घटनाएं घटित होती है तथा अमूल्य मानव जीवन की क्षति होती है। प्रायः यह देखने में आता है कि कुछ वाहन चालक आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलैंस, अग्निशमन वाहन आदि को भी पास (रास्ता) देने में प्राथमिकता नहीं देते हैं जिस कारण कभी–कभी जानमाल का काफी नुक्सान उठाना पड़ता है।

यदि यातायात नियमों का पालन सभी वाहन चालक अपना एक कर्त्तव्य समझ कर करें व पैदल पथ यात्री भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें तो हम सभी प्रदेश को दुर्घटना मुक्त बनाने में अवश्य ही सफल होंगे। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा इस विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए गंम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं तथा समय–समय पर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, नुक्कड़ नाटक व सड़क सुरक्षा सम्बंधित विभिन्न कार्यशालाओं व कार्यक्रमों द्वारा सभी हितधारकों को, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं जोकि भविष्य में भी जारी रहेंगे।

इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए केन्द्रिय मोटर वाहन नियम, 1989 के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम को पारित करके वर्ष 1999 से प्रदेश में लागू किया गया है जिसे 13 अध्यायों व 5 अनुसूचियों में संकलित किया गया है।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केन्द्रो के मालिकों एवं प्रशिक्षकों को चालक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के बारे में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला में 6 अक्तूबर 2022 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मोटर वाहन (चालन) विनियम, 2017
Motor Vehicle (Driving) Regulations, 2017

वाहन चलाते समय सड़क के उपयोग में अपनाए जाने वाले अनुशासन, सुरक्षा उपाय व दक्षता को मोटर वाहन चालन विनियम के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण नियमावली है। प्रारम्भ में ये विनियम केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के साथ ही गठित किए गए थे, परन्तु वर्ष 1989 के बाद यातायात के हालात, सड़कों की संरचना तथा प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी काफी बदलाव आए हैं जिस कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सड़क यातायात के सुरक्षित एवं कुशल आवागमन पर काफी प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत

सरकार द्वारा मोटर वाहन (चालन) विनियम 1989 में संशोधन करके 23 जून 2017 से मोटर वाहन (चालन) विनियम, 2017 को लागू किया गया है।

मोटर वाहन विनियम 2017 में शामिल 40 नियमों द्वारा सड़क पर यातायात के आवागमन व नियमों के पालन के बारे में उल्लेख किया गया है जिसमें वाहन चलाते समय अन्य सड़क उपयोगकर्त्ताओं व साधारण जनता के प्रति कर्त्तव्य, वाहनों द्वारा सड़कों का उपयोग, चालकों और सवारियों के कर्त्तव्य, लेन यातायात, रास्ते का अधिकार, दाएं, बाएं और यू टर्न, चौराहों एवं गोल चक्कर पर अपनाई जाने वाली सावधानियां, यातायात नियंत्रण सिग्नल, ओवर टेकिंग, वाहन की गति, वाहन को पार्किंग स्थल पर रोकना, हॉर्न का उपयोग, वाहन का खराब होना, वाहन दुर्घटना में कार्यवाही, वाहन की लाइटें, मोबाइल टेलीफोन और संचार उपकरणों का उपयोग तथा वाहन के दस्तावेजों व ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने बारे आदि नियम बनाए गए हैं।

इन उपरोक्त नियमों के द्वारा ही यह निर्देशित किया गया है कि डबल लेन सड़क में वाहन को बाएं ओर चलना है ताकि पीछे से आने वाले वाहन को चालक दाईं ओर से सुरक्षित तरीके से पास दे सकें। इसके अतिरिक्त एक ही दिशा में एक से अधिक लेन वाली सड़कों पर भारी मालवाहक वाहन या धीमी गति वाले वाहनों को हमेशा सड़क की बाएं लेन में ही चलाया जाएगा जब तक की किसी बाधा को या धीमी गति में चल रहे वाहन को ओवरटेक न करना हो।

इन नियमों को लागू करना परिवहन विभाग, पुलिस विभाग व लोक निर्माण विभाग के लिए अति आवयश्क है ताकि वे सड़क पर नियमानुसार यातायात को संचालित कर सके क्योकि ये नियम वाहन चालकों के प्रशिक्षण और लाइसेंस प्रदान करने के आधार पर बनाए गए हैं। इन नियमों का व्यापक प्रचार व प्रसार किया जाना अति आवयश्क है ताकि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा की दृष्टि से उनके द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियों तथा उनके कर्त्तव्य एवं अधिकरों के बारे में जागरूक किया जा सके।

इन नियमों का महत्व इस कारण भी बढ़ जाता है कि खतरनाक ड्राइविंग आदि के आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा आरोप पत्र तैयार करने में भी इन नियमों के उल्लंघन का उल्लेख किया जाता है तथा सजा के निर्धारण के लिए सम्बंधित न्यायालय को भेजा जाता है। ये नियम सड़क दुर्घटना की जांच के क्षेत्र में आरोप गठित करने का भी ठोस आधार बनते हैं।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों व आम जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि सड़क सुरक्षा से

सम्बंधित कानूनों एवं नियमों की जानकारी प्रदान करके प्रदेश में घटित होने वाले सड़क हादसों की संख्या को कम किया जा सके।

भारतीय दंड संहिता, 1860
The Indian Penal Code, 1860

यदि कोई वाहन चालक उतावलेपन से या लापरवाही से वाहन चलाता है, जिससे कि मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो जाए तथा किसी अन्य व्यक्ति को क्षति होना संभव हो तो वाहन चालक के इस कृत्य के लिए भारतीय दंड संहिता में जुर्माने व दंड का प्रावाधान किया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में चालक द्वारा वाहन चलाने पर उसके विरूद्ध पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279 के अंर्तगत अपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जाएगी। यदि वाहन चालक के कृत्य द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है जिससे की मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो अपराधिक मामालें में धारा 337 के अंर्तगत कार्यवाही की जाएगी। यदि वाहन चालक द्वारा किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पंहुचाई जाती है तो धारा 338 के अंर्तगत अपराधिक मामले में कार्यवाही की जाएगी।

इसके अतिरिक्त यदि वाहन चालक द्वारा उतावलेपन व लापरवाही से वाहन चलाते समय वाहन में सवार, पैदल पथ यात्री या किसी दूसरे वाहन में सवार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 A (जो कि मानववध की श्रेणी में नहीं आता है) के अंर्तगत आपराधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उपरोक्त धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज़ करने के बाद पुलिस द्वारा तफ्तीश (Investigation) अमल में लाई जाएगी तथा मौके पर सबूत इक्कठा करने, घायल व्यक्ति का चिकित्सा परीक्षण व पीड़ित एवं गवाहों के बयान दर्ज़ करने तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहन/वाहनों की मैकेनिकल रिपोर्ट हासिल करने के पश्चात् मामले में आरोप पत्र तैयार करके सम्बंधित न्यायालय में दायर किया जाएगा। न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की सुनवाई के बाद पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, दुर्घटनाग्रस्त वाहन/वाहनों की मैकेनिकल रिपोर्ट तथा गवाहों के बयानों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाया जाता है। मुकद्दमें की सुनवाई के दौरान चालक के विरूद्ध आरोप साबित होने पर न्यायालय द्वारा दोषी को कारावास व जुर्माने से या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 337 के अंर्तगत अपराध करने पर दोषी वाहन चालक को 6 माह तक की सजा या ₹500 जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। धारा 338 के अंर्तगत वाहन चालक को 2 वर्ष तक की सजा या ₹1000 जुर्माना या दोनों से दंडित करने का कानूनन प्रावधान है। इसी प्रकार धारा 304 (A) के अंर्तगत, (जो कि मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है) दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा माह मार्च 2022 में राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा शिमला में Road Safety Club द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्रों व अध्यापकों को सड़क सुरक्षा के प्रति की जा रही गतिविधियों से अवगत करवाया गया तथा उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना की महत्ता के बारे में जागरूक किया गया।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973
The Code of Criminal Procedure, (Cr. PC), 1973

जिस प्रकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वर्णित कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है उसी प्रकार भारतीय दंड संहिता 1960 के दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रक्रिया का वर्णन आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में किया गया है। Cr.PC के प्रावधान किसी भी अपराध की जांच, संदिग्ध अपराधियों से पूछताछ एवं गिरफ्तारी, अपराध से सम्बंधित सबूत इक्कठे करना, आरोपी व्यक्ति को अपराधी या निर्दोष साबित करना तथा अपराध साबित होने पर दोषियों की सज़ा निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं।

भारतीय दंड संहिता में वर्णित अन्य अपराधों की तरह ही सड़क दुर्घटना सम्बंधी मामलों में जिनमें वाहन चालक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 279, 337, 338 व 304 A के अंर्तगत आपराधिक मामला बनता है, Cr.PC के अंतर्गत पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज़ करने, अपराध की तफ्तीश करने, दुर्घटना स्थल से सबूत इक्कठा करने, घायल व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षण या मृत व्यक्ति की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हासिल करने, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने, वाहनों का मैकेनिकल निरीक्षण करने, गवाहों के बयानात दर्ज़ करने तथा आरोपी की जमानत से सम्बंधित कार्यवाही की जाती है। तफ्तीश पूरी होने व आरोप सिद्ध होने पर वाहन चालक के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार करके संबधित न्यायालय में रिर्पोट प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया व दोष सिद्ध होने पर भारतीय दंड संहिता 1960 के मुताबिक सजा व जुर्माने का फैसला सुनाने व अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के विरूद्ध अप्पर न्यायालय में अपील करने सम्बंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

आम जनता को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू नियमों के बारे में जानकारी न होने के कारण यह भ्रांति रहती है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर सकती है। यहां तक की समाज के पढ़े लिखे लोग भी अक्सर किसी छोटे मोटे अपराध होने पर जिसमें पुलिस को कानून के अंर्तगत अपराधी को जमानत पर रिहा करने की शक्ति प्राप्त होती है, यह कर रोष प्रकट करते हैं कि पुलिस ने जानबूझ कर अपराधी को छोड़ दिया है या पुलिस जानबूझ कर अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। परन्तु पुलिस की

कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार ही अमल में लाई जाती है तथा न्यायालय द्वारा इन्हीं प्रावधानों के अंर्तगत वादी व प्रतिवादी पक्ष की सुनवाई करके अंतिम फैसला, चाहे सजा या जुर्माना हो या अपराधी को बरी किया जाए, सुनाया जाता है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पुलिस के विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्‌देश्य से सड़क सुरक्षा के पांच स्तंभ तथा सड़क सुरक्षा के पांच प्रहरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं। यदि प्रत्येक वाहन चालक सड़क सुरक्षा के पांच स्तंभों के प्रति जागरूक हो जाएं तो सड़क सुरक्षा के पांच प्रहरियों से उनका पाला नहीं पड़ेगा तथा प्रदेश में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं तथा उनके परिणामस्वरूप होने वाली दुःखद जानहानि व गंभीर चोटों में भी अवश्य ही कमी आएगी। हम इस उद्‌देश्य में तभी सफल हो पाएंगे जब हम सभी यह प्रण करें कि सड़क सुरक्षा को हम एक अभियान बनाएंगे तथा हिमाचल प्रदेश को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने में अपना सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। केवल सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा ही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाना संभव नहीं है परन्तु इस अभियान में सभी हितकारक विभागों तथा समाज के समस्त वर्गों का समग्र सहयोग वांछित है।

शराब पीकर वाहन न चलाऐं!

अपना एवं औरों का कीमती जीवन बचाऐं!

आओ, हम सभी संकल्प करें कि यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित, समृद्ध एवं सड़क दुर्घटना मुक्त राज्य बनाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे।

DigiLocker / M-Parivahan - Digital दस्तावेज़ों की ऑनलाईन सुविधा

वर्तमान में नवीन तकनीक के तीव्र विकास एवं इंटरनेट की बढ़ती उपयोगिता के मद्देनज़र केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आम जनता को असल कागज़ात को साथ लेकर चलने, उनके गुम व नष्ट होने की असुविधा से बचाने के लिए **'डिजिटल लॉकर'** प्रणाली को लागू किया गया है जिसे डिजी लॉकर (DigiLocker) का नाम दिया गया है।

इंटरनेट आधारित इस सेवा के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने वाहन के कागज़ात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस के अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिणिक प्रमाण पत्र आदि दस्तावज़ों को भी ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन अथवा कम्प्यूटर में ऑनलाईन रख सकते हैं।

इस सुविधा के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड के माध्यम से आप अपना डिजिटल लॉकर का अकाउंट खोल सकते हैं।

अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक निर्देश

1. अपना डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले वेबपोर्टल digilocker.gov.in पर जाना होगा अथवा गूगल प्ले स्टोर से DigiLocker डाउनलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त आप गूगल प्ले स्टोर से m-parivahan App भी डाउनलोड कर सकते हैं।
2. इसके पश्चात् आपको एप या वेबपोर्टल पर अपने आपको पंजीकृत करना होगा।
3. पंजीकरण के पश्चात् आपको अपनी डिटेल को प्रमाणित करना होगा।
4. इस पूरी प्रक्रिया के पश्चात् आप वांछित दस्तावेज़ अपने अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं।

यह सभी दस्तावेज़ Issued Documents के श्रेणी में आते हैं तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

डिजीलॉकर में विद्यमान दस्तावेज़ों को आप असल दस्तावेज़ों के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं तथा पुलिस, परिवहन व अन्य विभागों द्वारा मांग किए जाने पर अपने मोबाइल या लैपटॉप/कम्प्यूटर पर इन ऑनलाइन दस्तावेज़ों को उपलब्ध करवाया जा सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

The Motor Vehicle Act, 1988

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989

Central Motor Vehicle Rules, 1989

व

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999

Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999

मोटर वाहन (चालन) विनियम, 2017

Motor Vehicle (Driving) Regulations, 2017

भारतीय दंड संहिता, 1860

The Indian Penal Code, 1860

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

The Code of Criminal Procedure, (Cr. PC), 1973

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग
हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रकाशित

Website : www.roadsafety.hp.gov.in, E-mail: leadagencyrschp@gmail.com

संपादन कार्य : श्री अमर सिंह, उप-पुलिस अधीक्षक

डिजाइन : सुश्री शीतल शर्मा, प्रोग्रामर

रेखांकन एवं टंकण : श्री मनजीत सिंह